बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

पत्रांक – वि० प्रा० (II) छात्र–04/2014– 1079 **पटना, दिनांक –** 26/04/2018

प्रेषक,

निदेशक,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य/विशेष कार्य पदाधिकारी
सभी राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय/राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थान।

विषय – संस्थान में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं का सैद्धान्तिक, प्रायोगिक एवं सात्रिक कक्षाओं में उपस्थिति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना/राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, बिहार के प्रावधानानुसार संस्थान में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं का सैद्धान्तिक, प्रायोगिक एवं सात्रिक कक्षाओं में उपस्थिति कुल संचालित कक्षाओं का 75 प्रतिशत (पचहत्तर प्रतिशत) से कम नहीं होना चाहिए। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना/राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, बिहार के उक्त प्रावधान का दृढ़तापूर्वक पालन करना सुनिश्चित किया जाय।

छात्र/छात्राओं का परीक्षा आवेदन प्रपत्र, संबंधित सेमेस्टर के निर्धारित वर्ग कार्य में न्यूनतम उपस्थिति के वैधिक साक्ष्य/प्रमाण (उपस्थिति पंजी/Biometric Attendance/ERP आदि) के आधार पर हीं सत्यापित कर अग्रसारित की जाय। प्राचार्य अपने स्तर से संस्थान में छात्रों के वर्ग कार्य में उपस्थिति का अनुश्रवण करना सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन,
20.04.18
निदेशक,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।

Dated – 18 – 04 - 2018

Scanned by CamScanner